दिनांक हुक्म	कार्यवाही
	वादीगण को सम्मन तलबाना प्रस्तुत करने के समुचित एवं पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी वादीगण द्वारा न्यायालय के आदेशों की पालना न की गयी और न ही पेश न करने के कारणों से अवगत कराना उचित समझा। इससे न्यायालय का समय जाया हुआ है। प्रार्थी/वादी अशेष प्रतिवादीगण का तलबीन करवा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का भी उल्लंघन कर रहा है अतः न्यायालय वादी के वाद को अन्तर्गत आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. खारिज योग्य मानता है। अतः वाद को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़ (राज०)